

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—5
संख्या 4224 /आठ—5—11—10ई/11
लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

आदेश

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 के नियम—1(3) के परन्तुक में अंकित प्राविधान एवं रिट याचिका संख्या 556(एसबी) /2009, प्रवीण कुमार अग्रवाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 876(एसबी) /2004, विप्रा पेंशनर्स एशोसिएशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20—11—2010 के दृष्टिगत नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 11—11—2011 से पूर्व सेवानिवृत्ति सेवा के सदस्यों को एतद्वारा उक्त नियमावली के अधीन आच्छादित किया जाता है।

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या 4224(1) /आठ—5—11—10ई/11, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक /लेखाधिकारी, समस्त विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
(लेखा)
(बराती लाल)
अनु सचिव।